सार-समाचार

डंपर से कुचलकर युवक की हत्या होटल पर खाना खाने के दौरान हुई कहासुनी, आरोपी चालक को पुलिस ने पकड़ा

जोधपुर (कासं)। जोधपुर ग्रामीण के बोरुंदा थाना क्षेत्र में गढ़सुरिया गांव में स्टेट हाईवे- 21 पर शुक्रवार रात हुई कहासुनी के बाद एक युवक की डंपर से कुचलकर हत्या कर दी गई। मृतक के मामा की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। थाने में दी रिपोर्ट में हरेंद्र सिंह राजपूत निवासी बालवा जिला नागौर ने बताया जा उनका भांजा बलवीर सिंह उर्फ करणसिंह (27) निवासी भोपाल सिंह की ढाणी प्रतापगढ़ थाना रास जिला ब्यावर डंपर चलाता था। 29 दिसंबर को रिया में डंपर भरकर रात दस बजे के करीब खाना खाने के लिए गढ़सुरिया के पास एक होटल पर रुका था। उसके साथ अन्य ड्राइवर आसाराम, मुकेश तांडी, बलदेव नायक भी थे। जो सड़क किनारे डंपर खड़ा कर खाना खाने के लिए बैठे थे। इसी दौरान इंद्रा राम डंपर लेकर आया और उनके भांजे के साथ बैठे आसाराम के साथ झगड़ा करने लगा। इस पर उनके भांजे ने बीच बचाव की कोशिश की तो इंद्रा राम ने बलवीर के साथ गली गलौज की। इस दौरान वो मारपीट करने के लिए लाठी भी लेकर आया और बलवीर व उसके साथी आसाराम को मारने के लिए दौड़ा। बाद में बलवीर ने एक बारगी समझाइश करने का प्रयास किया। उसके बाद जब बलवीर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा तो इंद्रा राम ने अपने डंपर से बलवीर को कुचल कर हत्या कर दी।

मानवता शर्मसार : नवजात शिशु का शव हाइवे के पास झाड़ियों में फेंका

जोधपुर (कासं)। ग्रामीण जिले के आसोप थानान्तर्गत रजलानी गांव में स्टेट हाइवे के पास झाड़ियों में एक नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस को अंदेशा है कि किसी ने पैदाइश छुपाने के लिए 24 घंटे पहले जनमे नवजात का शव झाड़ियों में फेंका होगा। थानाधिकारी किरण कुमार ने बताया कि रजलानी गांव में हाइवे किनारे नवजात का शव दिखाई दिया। सरपंच पारस गुर्जर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच की गई तो नवजात का शव मिला। उसके सिर पर चोट लगी हुई थी। जो संभवतः शव फेंकने की वजह से आने का अंदेशा है। पुलिस ने चिकित्साक विभाग की टीम मौके पर बुलाई और पोस्टमार्टम कराया। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। सरपंच पारस गुर्जर ने बताया कि नवजात का शव स्टेट हाइवे के पास सुनसान जगह फेंक दिया गया था। पुलिस ने मेडिकल टीम बुलाकर पोस्टमार्टम कराया है।

आरएसी कांस्टेबल की मौत का मामला परिजनों ने हिस्ट्रीशीटर सहित चार जनों के खिलाफ दर्ज करवाया मामला

जोधपुर (कासं)। जोधपुर ग्रामीण के बिलाड़ा थाना क्षेत्र के हर्ष गांव में खेत के कमरे में आरएसी प्रथम बटालियन के जवान का शव मिलने के मामले में परिजनों ने चार लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। थाने में दी रिपोर्ट में मृतक के बड़े भाई ओमप्रकाश ने बताया कि उनका छोटा भाई श्यामलाल (30) आरएसी प्रथम बटालियन में कॉन्स्टेबल के पद पर कार्यरत था। उसकी जैतारण बस स्टैंड पर ड्यूटी थी। यहां एक हिस्ट्रीशीटर और उसका भाई अवैध कार्य करते थे। इसी के चलते वो उनके भाई से रंजिश रखते थे।

जैतारण थाने के हिस्ट्रीशीटर प्रकाश सोनी सहित चार लोगों ने उसके भाई के साथ 22 दिसम्बर को दिन के समय मारपीट की। उनके भाई को जान से मारने की धमकी भी दी। कॉन्स्टेबल के भाई ने आरोप लगाया कि उसी दिन से उनका भाई गायब था। वहीं मोबाइल भी स्विच ऑफ था। बता दें कि 29 दिसम्बर को आरएसी प्रथम बटालियन के कॉन्स्टेबल श्यामलाल का शव बिलाड़ा थाना क्षेत्र के हर्ष गांव के निकट कुएं पर मिला था। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम करवाकर मौत के कारणों की जांच शुरू की। वहीं परिजनों का आरोप है कि उसके सिर और शरीर की अन्य जगहों पर चोट के निशान थे। उन्होंने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।

सामाजिक लोकतंत्र के लिए अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे लाना होगा

लोकसभा अध्यक्ष 36 कौम को साथ ले राज्य में लिखेंगे विकास की नई इबारत : उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा

जयपुर (का.सं.)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सामाजिक लोकतंत्र के लिए समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे लाना होगा। उन्होंने महर्षि बालीनाथ जी की प्रेरणा एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर के सामाजिक समरसता के दर्शन को आत्मसात करने का आह्वान किया। लोकसभा अध्यक्ष बिरला रविवार को वेणी माधव सामुदायिक भवन में बैरवा महाकुंभ एवं महर्षि बालीनाथ जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बैरवा समाज द्वारा बालिका छात्रावास की जो नींव रखी गई है उसके निर्माण में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। छात्रावास की सुविधा मिलने से बैरवा समाज की बालिकाएं भी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शन कर देश में अपनी सार्थक भूमिका निभा सकेंगी। समारोह की अध्यक्षता कर रहे उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि 36 कौम को साथ लेकर राज्य में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। समाज के उत्थान के लिए हर स्तर पर कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता और प्रेम से सामाजिक उत्थान और प्रगति को बल मिलता है। विशिष्ट अतिथि अटरू, बारां विधायक राधेश्याम बैरवा, केशोरायपाटन विधायक सीएल प्रेमी, पूर्व मंत्री बाबूलाल वर्मा एवं रामगोपाल वर्मा ने भी विचार व्यक्त किए। अतिथियों ने छात्रावास निर्माण में सहयोग करने वाले भामाशाहों का सम्मान किया, इनमें एडीएम सिटी बृजमोहन बैरवा एवं यूआईटी उप सचिव हर्षित वर्मा भी शामिल रहे। समाज की प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा का कोटा प्रवास के दौरान विभिन्न संगठनों एवं गणमान्य जनों द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत भाषण में एडीएम सिटी बृजमोहन बैरवा ने समाज के सम्बलन के लिए आह्वान किया और बालिका शिक्षा के बढ़ावे के लिए सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता बताई।

अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को केन्द्र सरकार की योजनाओं से मिल रही राहत : डॉ. प्रेमचंद बैरवा

जयपुर (का.सं.)। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि केन्द्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का अंतिम पायदान पर बैठे हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाकर राहत देने में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। डॉ. बैरवा रविवार को बूंदी बाईपास स्थित बाईपास रोड़ ट्रक यूनियन के सामने स्थित रामदेवजी मंदिर एवं छात्रावास में आयोजित 28वां बैरवा दिवस समारोह, महर्षि बालीनाथ जयंती एवं सम्मान समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 36 कौम को साथ लेकर राज्य में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी।

एसयूवी नहीं रोकी तो कांस्टेबल बोनट पर चढ़ा, चालक ने आधी किमी दौड़ाई एसयूवी

जोधपुर (कासं)। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने के सामने नहर चौराहे पर रविवार अपराह्न लाल लाइट होने के बावजूद चालक एसयूवी ले जाने लगा तो यातायात पुलिस के कांस्टेबल ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने मामूली टक्कर मार एसयूवी दौड़ाने की कोशिश की तो कांस्टेबल बोनट पर चढ़ गया। इसके बावजूद चालक ने करीब पांच सौ मीटर तक एसयूवी दौड़ाई। राजीव गांधी नगर थाने के कुक ने बाइक को आगे लगाकर एसयूवी रुकवाई।

यातायात पुलिस के एएसआइ मूलसिंह ने बताया कि नहर चौराहे पर ड्यूटी के दौरान डीपीएस की तरफ से एक एसयूवी आई। तभी चौराहे पर लाल लाइट हो गई। इसके बावजूद चालक ने एसयूवी नहीं रोकी। तब कांस्टेबल सुशील ने एसयूवी रोकने की कोशिश की। चालक ने कांस्टेबल को मामूली टक्कर मारी और एसयूवी दौड़ाने लगा। यह देख कांस्टेबल सुशील एसयूवी की बोनट पर जा चढ़ा। ताकि चालक एसयूवी रोक सके। इसके बावजूद चालक ने एसयूवी नहीं रोकी और नहर रोड की तरफ घुमाकर दौड़ाने लगा। इससे एकबारगी हड़कम्प मच गया। वहां मौजूद राजीव गांधी नगर थाने के हेड कुक अशोक बिश्नोई ने बाइक से एसयूवी का पीछा किया और नहर रोड पर एक निजी अस्पताल के पास बाइक आगे लगाकर एसयूवी रूकवा ली। इतने में यातायात पुलिसकर्मी और चौहाबो थाने से पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर भीड़ जमा हो गई।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात) भोपालसिंह लखावत ने बताया कि सीआरपीसी की धारा 207 में एसयूवी जब्त की गई है। जानादेसर गांव निवासी एसयूवी चालक अशोक पुत्र बाबूराम जाट को चौहाबो थाना पुलिस को सौंपा गया है। फिलहाल इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया है।

राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन के बाद राजपूत समाज में रोष कहा समाज किसी पार्टी का गुलाम नहीं, आगामी लोकसभा चुनाव में देंगे जवाब

जोधपुर (कासं)। राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल गठन के बाद अब विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। राजपूत समाज की और से मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने को लेकर विरोध किया जा रहा है। जोधपुर में मारवाड़ राजपूत समाज की और से बीजेपी के खिलाफ रोष जताया गया। समाज के पदाधिकारियों ने इसको लेकर मारवाड़ राजपूत समाज भवन में बैठक की। मारवाड़ राजपूत समाज के अध्यक्ष हनुमानसिंह खांगटा ने बताया राजपूत समाज का 90 प्रतिशत वोट बीजेपी को जाता है। इसका फल बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार करके दिया है। जिसमें समाज की घोर उपेक्षा की गई। समाज के केवल तीन विधायकों को ही मंत्री बनाया गया, जबकि 26 उम्मीदवारों को पार्टी ने टिकट दिए थे, जिसमें से 16 विधायक जीतकर आए। बीजेपी समाज को बंधुआ मजदूर समझ रही है तो ये गलतफहमी निकाल दें। बीजेपी का यही रवैया रहा तो समाज को बैठकर आगे की रणनीति बनाने को मजबूर होना पड़ेगा। समाज के महासचिव केवी सिंह चांदरख ने बताया राजपूत समाज बीजेपी का मूल वोटर है। समाज का 90 प्रतिशत वोट बीजेपी को जाता है। इसके बावजूद समाज की उपेक्षा की गई। जबकि इस बार के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर समाज के 26 में 160विधायक बीजेपी से जीतकर आए हैं। वहीं दो निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी को समर्थन दिया हैं। इसके बाद भी महज तीन विधायकों को मंत्री बनाया गया है। पिछली बार बीजेपी की सरकार बनी तब समाज के 5 विधायकों को मंत्री बनाया गया।

समाज के पदाधिकारियों ने बताया पहले समाज के उम्मीदवारों को 45 से 50 टिकट दिए जाते थे। जो धीरे धीरे कम करते हुए बीजेपी 26 तक ले आई है। इसमें भी बीजेपी की जीत से ज्यादा प्रतिशत समाज के विधायकों का है। बीजेपी को समाज आंख मूंदकर वोट देता है। यदि इसी वजह से समाज की उपेक्षा की जा रही है तो समाज अब अन्य दल के साथ जाने को लेकर भी स्वतंत्र रहेगा।

प्रेस क्लब प्रबन्ध कार्यकारिणी की मुख्यमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात

जयपुर (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को रविवार, उनके आवास पर अध्यक्ष राधारमण शर्मा, महासचिव रामेन्द्र सोलंकी सहित प्रबन्ध कार्यकारिणी ने पिंकसिटी प्रेस क्लब की मानद सदस्यता प्रदान की। इस अवसर पर अध्यक्ष राधारमण एवं महासचिव सोलंकी ने बताया कि प्रदेश का मुख्यमंत्री पिंकसिटी प्रेस क्लब का मानद सदस्य होता है। उसी क्रम में रविवार को उनके आवास पर पहुंच कर मानद सदस्यता का प्रमाण-पत्र सौंपा। इस अवसर पर अध्यक्ष एवं महासचिव के अलावा कोषाध्यक्ष राहुल गौतम उपाध्यक्ष विजेन्द्र जायसवाल, कार्यकारिणी सदस्य डॉ. मोनिका शर्मा, दिनेश कुमार सैनी, पुष्पेन्द्र सिंह राजावत, विकास आर्य, उमंग माथुर, ओमवीर भार्गव दिनेश कुमार शर्मा उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री से हुई शिष्टाचार भेंट के तहत अध्यक्ष राधारमण व महासचिव सोलंकी सहित प्रबन्ध कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने उनको प्रेस क्लब आने का न्यौता दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जल्द ही प्रेस क्लब आकर मीडिया से रूबरू होंगे।

ज्वेलरी की दुकान पर लाखों की चोरी का मामला

पुलिस कर रही गिरोह के सरगना की तलाश, पकड़े गए बदमाश रिमांड पर

जोधपुर (कासं)। जोधपुर में पुनियो की प्याऊ के पास ज्वेलरी शॉप में 35 लाख रुपए के जेवरात चोरी करने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने दो दिन के रिमांड पर लिया है। इन दोनों को पुलिस ने चोरी के जेवरात के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों से की गई पूछताछ में सामने आया कि दोनों उसके गिरोह के सरगना दौलत के साथ जोधपुर में चोरी करते थे। अभी पुलिस चोर गिरोह के सरगना दौलत उर्फ डबलिंग की तलाश कर रही है। थाना अधिकारी सतीश कुमार ने बताया 16 दिसम्बर को मोहनलाल उर्फ मनीष सोनी ने थाने में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया कि उनकी जोलियाली पुनियों की प्याऊ के पास चामुंडा ज्वैलर्स के नाम से दुकान है। यहां पर 15 दिसम्बर की रात को दुकान का शटर उठाकर चोर घुसे व 22 किलो चांदी व 264 ग्राम सोने के जेवरात चुरा ले गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर दोनों को गिरफ्तार किया। आरोपी संजय उर्फ शम्भू (22) पुत्र प्रेमाराम जोशी निवासी केरू व परमेश्वर नाथ (22) पुत्र शैतान नाथ निवासी पालड़ी नाथा थाना सूरसागर को गिरफ्तार किया। दोनों से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवर बरामद किए गए। पुलिस ने बताया दोनों आरोपी वारदात के समय सीसीटीवी कैमरों व डीवीआर को तोड़कर अपने साथ ले जाते थे। वहीं मोबाइल भी बंद कर देते थे। जिससे किसी को उनकी लोकेशन के बारे में पता नहीं चले। आरोपी मौज व नशे के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम देते थे। गिरफ्तार परमेश्वर नाथ के खिलाफ नकबजनी सहित विभिन्न धाराओं में कई मामले दर्ज हैं।

जोधपुर के कई थाना क्षेत्र में की चोरी

थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि संजय व परमेश्वर को पुलिस ने पूछताछ के लिए दो दिन के रिमांड पर लिया है। दोनों ने दौलत नाम के युवक के साथ मिलकर चोरी करना कबूल किया है। अभी पूछताछ में दोनों क्षेत्र में और भी जगह चोरी करने की बात कबूल की है। जिसको लेकर पुलिस अभी जांच कर रही है। साथ मुख्य आरोपी दौलत की तलाश में कई ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

थाने में जब्त डम्पर चोरी, कमरे में घुसा, मालिक फंसा, फिर निकलकर भागा

जोधपुर (कासं)। अवैध बजरी खनन व परिवहन में लिप्त बजरी माफिया के हौंसले किस कदर बढ़े हुए हैं इसका अंदाजा पुलिस स्टेशन करवड़ में चोरी के मामले से लगाया जा सकता है। अवैध बजरी परिवहन में दुबारा डम्पर जब्त होने पर भारी भरकम जुर्माना राशि से बचने के लिए मालिक डम्पर को ही चुरा ले गया, लेकिन तांबड़िया गांव में तेज रफ्तार डम्पर जलदाय विभाग के एक मकान में घुस गया। आस-पास के लोगों ने डम्पर में फंसे मालिक को बाहर निकाला तो वह फरार हो गया। पुलिस के अनुसार गत अक्टूबर में अवैध बजरी से भरा एक डम्पर जब्त किया गया था। जुर्माना राशि जमा न करवा पाने की वजह से डम्पर थाना परिसर में ही खड़ा था। इसके चारों तरफ तारबंदी व पोल लगाए हुए थे। इस बीच, शुक्रवार रात 1.50 बजे मालिक अपने जब्त डम्पर को चुरा ले गया। इस दौरान तारबंदी और पोल टूट गए।

थाने से निकलने के बाद मालिक हड़मानराम डम्पर को तेज रफ्तार से दौड़ाने लगा। तांबड़िया गांव के पास गोलाई में पहुंचने पर चालक ने तेज रफ्तार डम्पर से नियंत्रण खो दिया। डम्पर अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे जलदाय विभाग के जर्जर कमरे में जा घुसा। जिससे वहां हड़कम्प मच गया। डम्पर और मकान क्षतिग्रस्त हो गए। चालक क्षतिग्रस्त डम्पर में फंस गया। वहां एकत्रित हुए ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद डम्पर मालिक हड़मानराम को बाहर निकाला। उसके कुछ चोटें भी आईं, लेकिन इसके बावजूद वह डम्पर को वहीं छोड़कर भाग गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की तो डम्पर के थाना परिसर से चोरी करने का पता लगा। उप निरीक्षक महेन्द्रसिंह ने डम्पर मालिक मण्डली चरणान निवासी हड़मानराम पुत्र मंगलाराम जाट के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने डम्पर बरामद किया है, लेकिन आरोपी पकड़ा नहीं जा सका है।

पुलिस का कहना है कि बजरी के अवैध परिवहन में यह डम्पर दूसरी मर्तबा पकड़ा गया है। पहली मर्तबा जुर्माना राशि कम होती है, लेकिन दूसरी बार वाहन जब्त होने पर वाहन की कीमत का 50 प्रतिशत जुर्माना जमा करवाना पड़ता है।

जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
JM FINANCIAL
कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U67190MH2007PLC74287
पंजीकृत कार्यालय का पताः 7वीं मंजिल, सेनर्जी, अण्णासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025
टी.: +91 22 6630 3030 एफः +911 22 6630 3223 www.Jmfinancialarc.com

मांग सूचना

सिक्युरिटायजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिनाशियल असेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट कानून 2002 की धारा 13 (2) के अनुसार और इस के साथ पढ़े सिक्युरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 का नियम 3 (1) के अनुसार द पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फायनांस लिमिटेड (पूर्व पहचान दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने अपने यूल ऑफ लोन (निम्नलिखित कर्ज के साथ) और इस के साथ निम्नलिखित सिक्युरिटी इंटरेस्ट जो निर्मित किया है तथा उन पर हक आदि सिक्युरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिनाशियल असेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 (सरफेसी एक्ट) के अनुसार तथा असाइनमेंट एग्रीमेंट दिनांकित 29 मार्च 2023 (असाइनमेंट एग्रीमेंट) जेएमएफएआरसी को असाइन किए है। (इस के बाद उन का उल्लेख असाईनी किया जाएगा) अधोहस्ताक्षरकर्ता जो असाईनी के प्राधिकृत अधिकारी सिक्युरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिनाशियल असेट्स और इंफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट कायदा 2002 के अनुसार। इस कानून की धारा 13 (12) के अनुसार प्राप्त अधिकारों के अनुरुप और इस के साथ पढ़े सिक्युरिटी इंटरेस्ट(इंफोर्समेंट) नियम 2002 का नियम 3 के अनुसार प्राप्त अधिकारों के अनुरुप प्राधिकृत अधिकारी ने कानून की धारा 13 (2) के अनुसार मांग सूचना निर्गमित (मांग सूचना) की है और निम्नलिखित कर्जदारों को सूचित किया है कि वह' सम्बंधित मांग सूचना में उल्लेखित रकम का भुगतान करे। इस के बारे में इस के साथ फिर एक बार सभी कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि वह इस राशि का भुगतान जेएम् को यह सूचना प्रसिद्ध होने की तिथि से 60 दिनों में करें। इस राशि में आगे का ब्याज जिस का उल्लेख मांग सूचना में भी किया गया है, और निम्नलिखित तालिका में दिया गया है, सम्मिलित है, का भुगतान निम्नलिखित तिथि से सम्पूर्ण राशि का भुगतान होने की तिथि तक करें, जो लोन एग्रीमेंट के और अन्य प्रपत्रों के अनुसार है जो कर्जदार ने निष्पादित किए हैं। कर्ज की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित परिसंपत्ति जेएम् के पास कर्जदार ने मोर्टगेज की है।

ऋणकर्ता(ओं)/ जमानतदार (ओं) का नाम	मांग सूचना की तारीख और एनपीए तारीख के साथ राशि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
(एलसी संख्या 153000001743 उदयपुर शाखा) रमेश जाट (कर्जदार) गीता जाट (सह कर्जदार 1)	28/11/2023/ रु 963109 (रुपये नौ लाख तिरसठ हजार एक सौ नौ मात्र) एनपीए (11/03/2023)	अरजी संख्या 478 ग्राम विष्णुपुरा, ग्राम पंचायत लाइनी, तहसील मावली, चारभुजा मंदिर के पास, उदयपुर, उदयपुर राजस्थान 313 203
(एलसी संख्या 09000006366 भीलवाड़ा शाखा) जगदीश चंद्र तम्बोली (कर्जदार) शांता देवी (सह कर्जदार 1)	28/11/2023 / रु 455958 /- (रुपये चार लाख पचपन हजार नौ सौ अठावन मात्र) एनपीए (08/01/2023)	प्लाट संख्या ए-201, आजाद नगर, कुम्भा सर्कल के पास, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, राजस्थान 311 001
(एलसी संख्या 061000003378 बीकानेर शाखा) रघुवीर सुरवीजा (कर्जदार) आशा सुरवना (सह कर्जदार 1)	28/11/2023 / रु 271557 /- (रुपये दो लाख इकहत्तर हजार पांचसौ सत्तावन मात्र) एनपीए (11/05/2023)	घर संख्या 14/282, मुक्ता प्रसाद नगर, सेक्टर 14, बीकानेर बीकानेर, राजस्थान 334001
(एलसी संख्या 061000037140 बीकानेर शाखा) नानूराम कुम्हार (कर्जदार) भंवरी देवी कुम्हार (सह कर्जदार 1)	28/11/2023 / रु 408805 /- (रुपये चार लाख आठ हजार आठ सौ पांच मात्र) एनपीए (11/05/2023)	पट्टा संख्या 1385, वार्ड संख्या 05, मोहल्ला कानपुरा बस्ती नोखा, बीकानेर राजस्थान 334803

यदि उक्त उधारकर्ता उपरोक्तानुसार जेएम को भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो जेएम अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। लागत और परिणाम के संबंध में पूरी तरह से उक्त उधारकर्ताओं के जोखिम पर है। अधिनियम के तहत उक्त उधारकर्ताओं को जेएम की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा उपरोक्त संपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, अधिनियम के तहत प्रावधान के अनुसार कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

दिनांक : 01-01-2024
स्थान : राजस्थान

हस्ता/-
(प्राधिकृत अधिकारी)
जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

ICICI Home Finance
कॉरपोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, अंधेरी - कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400059, भारत
शाखा कार्यालयः पहली मंजिल, 294, मेहर प्लाज़ा, प्लॉट नंबर 1, 2, 15 और 16 वीर दुर्गादास नगर, पाली, राजस्थान- 306401
शाखा कार्यालयः पहली मंजिल, होप टावर, कार्यालय संख्या-683 बी, सरदारपुरा 9वीं सी-डी रोड, जोधपुर - 342003

(नियम 8(6) के प्रावधान देखें)

अचल मालमत्ता के बिक्री के लिए सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पढ़ी जाती है।
इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका **प्रतिकात्मक कब्ज़ा** प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को यहां दिए गए सांक्षिप्त विवरण के अनुसार, 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है', और 'जो कुछ भी है' पर बेचा जाएगा;

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानतदार कानूनी उत्तराधिकारी का नाम कर्ज खाता क्रमांक	सुरक्षित परिसंपत्ति (संपत्तियों) का विवरण जिसमें ज्ञात संपत्ति हो, कोई हो।	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य बयाना राशि	संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	निलामी की तिथि एवं समय
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)
1.	मुरली दास (उधारकर्ता) रेखा (सह-उधारकर्ता) ऋण खाता संख्या LHBLT00001282821	खसरा नंबर 1920/458 वार्ड नंबर 31 समदड़ी रोड पुलिया से आगे रामदेव बालोतरा-344022	रु. 21,41,831/- 15 दिसंबर 2023	रु. 12,40,313/- रु. 1,24,040/-	08 जनवरी 2024 प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक	19 जनवरी 2024 02:00 अपराह्न- 03:00 अपराह्न
2.	कमला (उधारकर्ता) बाबू लाल वैष्णव (सह-उधारकर्ता) रमेश कुमार वैष्णव (सह-उधारकर्ता) ऋण खाता संख्या LHPLI00001320263	फ्लैट नंबर ओसी 12 बालाजी रेजीडेंसी-ब्लॉक सी खसरा नंबर 6940/3788 ग्राम जालोर जालोर-343001	रु. 5,51,895/- 15 दिसंबर 2023	रु. 7,09,317/- रु. 70,940/-	08 जनवरी 2024 प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक	19 जनवरी 2024 02:00 अपराह्न- 03:00 अपराह्न
3.	देवी लाल (उधारकर्ता) हीरा देवी (सह-उधारकर्ता) ऋण खाता संख्या LHPLI00001295249	खसरा नंबर 1164 तीसरी मंजिल ग्राम पाली चक प्रथम सुमेरपुर पाली- 306401	रु. 4,22,822/- 15 दिसंबर 2023	रु. 4,25,973/- रु. 42,600/-	08 जनवरी 2024 प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक	19 जनवरी 2024 02:00 अपराह्न- 03:00 अपराह्न

ऑनलाइन निलामी हमारी निलामी एजन्सी **ग्लोब टेक (यूआरएल लिंक https://BestAuctionDeal.com)** के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। गिरवी रखने वाले/सूचना कुल थकबाकी रकम का **18 जनवरी, 2024** को **शाम 05.00** तक आगे के ब्याज के साथ प्रदान करने के लिए सूचना दी जाएगी अन्यथा, सदर प्रतिभूत मालमत्ता की अनुसूची अनुसार बिक्री की जाएगी।
प्रस्तावित बोलीदार सदर बयाना राशि जमा के साथ (रकाना क. ई) में संदर्भित) मुहरबंद लिफाफा में सुपरस्क्राईब्ड मालमत्ता के खरीद के लिए प्रस्ताव उनके प्रस्ताव **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, पहली मंजिल, होप टावर, ऑफिस नंबर- 683 बी, सरदारपुरा 9वीं सी रोड, जोधपुर - 342003** तहत **दि. 18 जनवरी, 2024** को **शाम 04.00** तक भेजे एवं पेश करें। कृपया प्रस्तावित बोलीदार ऊपरी निर्देशित समय के अनुसार उनके प्रस्ताव निविदा दस्तावेज के हस्ताक्षरित प्रति **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, पहली मंजिल, होप टावर, ऑफिस नंबर -683 बी, सरदारपुरा 9वीं सी रोड, जोधपुर - 342003** तहत **दि. 18 जनवरी, 2024** को **शाम 5.00 बजे** के पहले पेश करें। बयाना रकम जमा ड्राफ्ट (डीडी) राष्ट्रीयकृत/शेड्युल्ड बैंक से योग्य निलामी आयोजन **आईसीआईसीआई होम फायनान्स कंपनी लि.** - निलामी के नाम से **बालोतरा, जालोर, पाली** तहत पेश करें।
जांच के संबंध में अधिक जानकारी के लिए, निलामी के नियम एवं शर्तें एवं निविदा को पेश करने के लिए कृपया **आईसीआईसीआई होम फायनान्स कंपनी लिमिटेड** के मो. क. **9920807300** पर या हमारे **सेल्स एंड मार्केटिंग पार्टनर नेक्ससेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड** पर सम्पर्क करें।
प्राधिकृत अधिकारी के पास कोई भी कारण न देकर सर्व बोली रद्द करने का अधिकार आरक्षित हैं। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के वेबसाइट **https://www.icicihfc.com/** से सम्पर्क करें।

दिनांक : 01 जनवरी 2024
स्थान : बालोतरा, जालोर, पाली

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई होम फायनान्स कंपनी लिमिटेड